

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-नर्सिंग/नर्स-1/नाम संशो/24206/2024/१७

दिनांक:- 12/3/2024

—: आदेश :—

राजस्थान सेवा नियम के नियम 8 के निर्णय संख्या 5 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत श्री रामनिवास निम्बावत, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर का नाम राम निवास निम्बावत के स्थान पर राम निवास परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-नर्सिंग/नर्स-1/नाम संशो/24206/2024/१७

दिनांक:- 12/3/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर।
- 3 अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के पत्रांक 139-40 दिनांक 03.02.2024 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के समस्त सेवाभिलेख में कार्मिक का नाम राम निवास निम्बावत के स्थान पर राम निवास संशोधित करें।
- 4 संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 6 आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5829833

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :11-03-2024 06:32:35